ऑन लाईन नं. RCMS 2019/00139

न्यायालय : **न्याय** निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन **सं0 22/2019**

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री शेराराम गोदारा **–नमूना विक्रेता एवं मालिक–**
   मिठाई निर्माता एवं विक्रेता,
   निवासी 11 एल.एम. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(II)खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय **दिनांक : 04.04.2023**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 27.10.2016 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में बताये है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.11.2018 को दोपहर पूर्व 11.00 ए.एम. पर श्री राकेश सचदेवा लेब तकनीशियन, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के साथ वास्ते चैकिंग श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री शेराराम गोदारा **मिठाई निर्माता एवं विक्रेता,** निवासी 11 एल.एम. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर की दुकान पर पहुंचे। वहां पर श्रवण कुमार पुत्र श्री शेराराम गोदारा उपस्थित मिला। उपस्थित को मैने अपना परिचय देकर उपरोक्त दुकान का निरीक्षण किया तो मौके पर एक डीप फ्रीज के खण्ड में रखे चार टीन के पीपो में लगभग 60 किलोग्राम **मावा** आम जनता को विक्रय हेतु रखा पाया गया। मिलावट का शक होने पर इनमें से 1 किलोग्राम **मावा** नमूना जांच संख्या **के–940** के नमूनीकरण के लिये खरीदा जिसकी कीमत 170/–रूपये (अखरे रूपये एक सौ सत्तर मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री राकेश सचदेवा लेब तकनीशियन, कार्यालय मुख्य

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नम्बर 5–ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया था कि नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। फार्म नम्बर पर **मावा विक्रता श्री श्रवण कुमार** एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकरी ने भी हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये फार्म नम्बर 5–ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मावा** को चार साफ एवं सुखी प्लास्टिक की बोतलों में बराबर–बराबर भागो में डालकर एवं प्रिजर्वेटिव मिलाकर कसकर ढ़क्कन बन्द किये एवं टेप चिपकार लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **के–940** एवं विवरण दर्ज किया और लेबलों पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारीने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक बोतल को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर और कागज के सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा, श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड एवं अनुक्रमांक **के–940** को नियमानुसार गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह मोहर चपड़ी किया और उन पर विक्रेता /खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाये व विवरण लिखकर आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। नमूना विक्रेता को यह बताने के बाद कि वह चाहे तो नमूने के चौथे भाग को किसी NABL Laboratory से जांच करवाने के लिए आवेदन कर सकता है, चारों नमूना भागों को श्री हरिराम वर्मा ने अपने कब्जे में लिया।

इस समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता एवं गवाहन को पढाकर, सुनाकर एवं समझकार हस्ताक्षर करने को कहां जिस पर विक्रेता एवं गवाहन ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ऑफिस पहुंचकर फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक फार्म पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। इसके पश्चात एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, जयपुर को जांच हेतु जमा करवाया गया। फार्म नम्बर 6 की 2 प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर उसी फार्म 6 की पुष्त पर नमूना सील करने की मोहर को मिलान करने की रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है साथ ही उपरोक्त नमूना प्रयोगशाला में जमा कराने की रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। शेष 2 सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के मोहर चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है ।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/2029/एक्ट/2018/684दिनांक 31.12.2018 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–940 मावा अमानक स्तर** (Substandard Food) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्रवण कुमार पुत्र श्री शेराराम गोदारा **मिठाई निर्माता एवं विक्रेता,** निवासी 11 एल.एम. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **मावा** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 21.10.2019 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने जरिये अधिकवक्ता अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा की तरफ से उपरोक्त अनवान का परिवाद मुझ अप्रार्थी के विरूद्व पेश किया गया है, जो मनमाने तरीके से लिखा गया होने के कारण स्वीकार नहीं है क्योंकि मैं किसान वर्ग का आदमी हूँ, मेरे पास हर समय 8–10 अमेरिकन गाय रहती है, जिनके दूध से खोया बनाकर वर्ष 2017–18 में बेचता था। इसके लिए मैने गंगानगर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के कार्यालय में पहुंचकर लाईसैंस प्राप्ति हेतु आवेदन किया था जिस पर कुछ व्यक्ति मेरे रिहायशी मकान 11 एल.एम. तहसील अनूपगढ में आकर पूछ–पड़ताल करने लगे और लाईसैंस बनाने की औपचारिकताऐं पूरी करने हेतु कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाये, मगर मुझे यह नहीं बताया कि वे कोई मावे का सैम्पल लेकर मेरे विरूद्व कानूनी कार्यवाही करने जा रहे है, ऐसी सूरत में मुझे अंधेरे में रखकर यह सारी कार्यवाही की है, ऐसी सूरत में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की कार्यवाही एकतरफा होने के कारण निरस्त होने लायक है तथा यह भी निवेदन है कि इस्तगासा को पढ़ने से पता चला है कि श्री हरिराम वर्मा हनुमानगढ जिले के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त है, इस कारण हरिराम वर्मा को गंगानगर जिले में इस तरह की फुड सेफटी एवं सैटर्ण्ड एक्ट के तहत कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। ऐसी सूरत में मुझे बिना किसी कारण परेशान करने के लिए यह कार्यवाही श्री हरिराम वर्मा द्वारा की है जो दाखिल दफतर होने लायक है और यह भी निवेदन है कि इसके पश्चात मैने अब मावा बनाने एवं बेचने का कार्य भी बंद कर दिया गया है, वर्तमान में मै कृषि कार्य व पशुपालन का कार्य कर रहा हूँ। अतः जवाब परिवाद पेश कर निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज फरमाया जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **मावा** का सैम्पल **के–940** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/2029/एक्ट/2018/684 दिनांक 31.12.2018 द्वारा (Substandard Food) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) उल्लंघन तथा धारा 31(2) के तहण्त जुर्मान योग्य अपराध साबित होता है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा की तरफ से उपरोक्त अनवान का परिवाद मुझ अप्रार्थी के विरूद्व पेश किया गया है, जो मनमाने तरीके से लिखा गया होने के कारण स्वीकार नहीं है क्योंकि मैं किसान वर्ग का आदमी हूँ, मेरे पास हर समय 8–10 अमेरिकन गाय रहती है, जिनके दूध से खोया बनाकर वर्ष 2017–18 में बेचता था। इसके लिए मैने गंगानगर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के कार्यालय में पहुंचकर लाईसैंस प्राप्ति हेतु आवेदन किया था जिस पर कुछ व्यक्ति मेरे रिहायशी मकान 11 एल. एम. तहसील अनूपगढ में आकर पूछ–पड़ताल करने लगे और लाईसैंस बनाने की औपचारिकताऐं पूरी करने हेतु कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाये, मगर मुझे यह नहीं बताया कि वे कोई मावे का सैम्पल लेकर मेरे विरूद्व कानूनी कार्यवाही करने जा रहे है, ऐसी सूरत में मुझे अंधेरे में रखकर यह सारी कार्यवाही की है, ऐसी सूरत में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की कार्यवाही एकतरफा होने के कारण निरस्त होने लायक है तथा यह भी निवेदन है कि इस्तगासा को पढ़ने से पता चला है कि श्री हरिराम वर्मा हनुमानगढ जिले के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त है, इस कारण हरिराम वर्मा को गंगानगर जिले में इस तरह की फुड सेफटी एवं सैटण्र्ड एक्ट के तहत कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। ऐसी सूरत में मुझे बिना किसी कारण परेशान करने के लिए यह कार्यवाही श्री हरिराम वर्मा द्वारा की है जो दाखिल दफतर होने लायक है और यह भी निवेदन है कि इसके पश्चात मैने अब मावा बनाने एवं बेचने का कार्य भी बंद कर दिया गया है, वर्तमान में मै कृषि कार्य व पशुपालन का कार्य कर रहा हूँ। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Mava" bearing Code No. and Sr. No. **K-940** of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sri ganganagar is **Substandard Food** as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulation, 2011. जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 31(2) के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 15,000–00 (अखरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में मावा के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर